सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00027

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी डा. गुजन सोनी, आर०ए०एस०
अपील प्रकरण सं० 40/2018

1. गुरमीत कौर पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष जाति जटसिख निवासी 5 एम.के. तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. सुखदेवी उर्फ सुखी देवी पत्नी बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी 38 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर दिनांक 22.06.2018 अनवानी इंतकाल संख्या 402 गुरमीत सिंह बहक सुखी देवी चक दुलरासर बारानी के नाम इंतकाल दर्ज किया गया, को निरस्त कर बहिस्सा बराबर दर्ज करने हेतु।

उपस्थित :
1.श्री तेजा सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या–2

:: आदेश :: दिनांक :– 27.10.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पुत्र गुरमीत सिंह की मृत्यु हो गयी है मै उसकी जायज वारिस हूँ। गुरमीत सिंह के नाम से चक दुलरासर बारानी पत्थर नम्बर 279/301, मुरब्बा नम्बर 50 में 1.265 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नम्बर 57 में 2.026 हैक्टर नहरी कुल 3.291 हैक्टर रकबा खातेदारी था। गुरमीत सिंह की मृत्यु दिनांक 05.04.2016 को हो गयी है इसकी जायज वारिस मैं हूँ मेरे नाम से इन्तकाल किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये इंतकाल तस्दीक कर दिया जो विधिविरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय एकतरफा आदेश है अपीलांट को बिना सुने बिना नोटिस दिये आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खाटां के वारिस प्रमाण–पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज कर दिया जबकि बख्तावर सिंह के एक उसकी पत्नी सुखदेवी, मृतक पुत्र गुरमीत सिंह व एक पुत्री गुरमीत कौर अपीलांटा के तीन वारिस थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को सुना नहीं गया है बिना विवेक के आदेश पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल तस्दीक करने से पहले नियम 132 से 134 लैण्ड रेवेन्यू रूल्स 1957 की पालना नहीं की, बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही आदेश पारित किया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले निरस्ती है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.06.2018 तहसीलदार रायसिंहनगर निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 16.10.2020 को मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें अंकित किया है कि उपरोक्त अपील श्रीमान न्यायालय में जेरकार है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पर नोओबजेक्शन कर हस्ताक्षर कर दिये है। अपील के पक्षकारान में अपील रिमाण्ड के सम्बन्ध में आपसी सहमति हो गयी है। अतः अपील पेशी में ली जाकर निर्णय किया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 22.06.2018 द्वारा इन्तकाल संख्या 402 विधिसम्मत है। तहसीलदार रायसिहनगर द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर उक्त विवादित इन्तकाल स्वीकृत किया गया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(डा. गुजन सोनी)
अति.जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)